पत्रांक / /आयु0करउत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 49(14.15)/14–15/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांक:: देहरादून 07 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर 2014

समस्त डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)वाणिज्य कर
समस्त असिस्टैन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी

मुख्यालय के संज्ञान में टैक्स बार एसोसिएशन हल्द्वानी द्वारा यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय संविदी विभागों द्वारा संविदाकारों को नियमानुसार प्रपत्र 8 जारी नही किये जा रहे है जिसके कारण उनको विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है । इन कठिनाईयों पर विचार किये जाने के उपरान्त निम्न निर्देश दिया जाता है –

संविदी विभागों को संविदाकारों को टी0डी0एस0 प्रपत्र 8 नियमानुसार जारी नही किये जाने के कारण विवरणी दाखिल करने एवं अधिक जमा धनराशि के वापसी विषयक असुविधा के सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते है कि जो विभाग,उस व्यौहारी अथवा व्यक्ति,जिससे कर की कटौती की गयी है,को प्रपत्र 8, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली के नियम 21 के उपनियम (6)(क) एवं (6)(ख) के अन्तर्गत जारी नही कर रहे है, उन्हें इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाये तथा प्रपत्र 8 नियमानुसार जारी नही करने पर उनके विरुद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

उपरोक्त निर्देश का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाये

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर
उत्तराखण्ड

3505 — 0
पृ0प0सं0व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– समस्त एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर मुख्यालय,उत्तराखण्ड ।
2– एडिशनल कमिश्नर कुमाउ जोन(रुद्रपुर)/गढवाल जोन (देहरादून)
3– समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्य0)वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानीको इसनिर्देश के साथ कि उक्त निर्देश की अतिरिक्त प्रतियॉ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों कोउपलब्ध कराने का कष्ट करे।
4– मुख्यालय के सभी अनुभागों को रिकार्ड हेतु ।

आयुक्त कर
उत्तराखण्ड

v.letter.14.15/279